(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1229–पीबीआर/2004, विरूद्ध आदेश दिनांक 24–11–1995 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 266/1991–92

.....

रामकिशुन ओझा पुत्र ख्याली ओझा,
निवासी–ग्राम चौकी परगना तथा
जिला–भिण्ड ..... आवेदक

विरूद्ध

1– केदारनाथ शर्मा,
2– शिवदयाल शर्मा,
3– ज्वालाप्रसाद शर्मा, तीनों पुत्रगण लक्ष्मीनारायण शर्मा
निवासीगण– ग्राम चौकी परगना तथा
जिला–भिण्ड
4– रामप्रसाद ओझा पुत्र लटूरी
निवासी–चौकी हाल गोरमी चुंगी के सामने
परगना जिला–भिण्ड (म0प्र0)
5– रामप्रताप दत्तक पुत्र रामनारायण,
निवासी–ग्राम चौकी परगना तथा
जिला–भिण्ड (जो यह निगरानी के लिये प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत करते समय उपस्थित नहीं हो पाने से
तकनीकी कारण से प्रत्यर्थी बनाया गया है
अन्यथा प्रार्थी की हैसियत रखता है)

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुवंर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 4 तक
अनावेदक कमांक 5 एकपक्षीय

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/6/2014 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम चौकी की भूमि सर्वे क्रमांक 19/1 रकबा, 0.262, 19/2 रकबा 209 हेक्टेयर के आधे हिस्से पर अभिलिखित भूमिस्वामी विक्रेता के स्थान पर अनावेक क्रेता का नामान्तरण करने हेतु निवेदन किया उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण में दिनांक 18–01–85 को नामान्तरण किया । इसके पश्चात आपत्ति कर्ता आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि आपत्ति कर्ता गोदनामा दिनांक 02–10–72 के अनुसार दत्तकपुत्र है और विक्रेता रामनारायण का भतीजा है । अतः वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण करने का अधिकार आवेदक को है । सुनवाई के पश्चात विचारण न्यायालय ने प्रकरण में यह आदेश दिनांक 27–7–87 को पारित किया कि बयनामा के आधार पर दिनांक 18–01–85 में नामान्तरण हो चुका है और उस पर कोई आपत्ति या अपील प्रस्तुत नहीं की गई, अतः आदेश अंतिम हो गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत की गई । व्यवहार न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202/ए/91/ई0डी0/ दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 10–01–92 द्वारा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 भिण्ड द्वारा वादी रामनारायण द्वारा प्रस्तुत दिवानी दावा निरस्त कर दिया गया, जो विक्रय पत्र दिनांक 31–10–84 एवं 23–03–87 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । विक्रय पत्र के आधार पर किया गया नामान्तरण वैध घोषित कर दिया गया । आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 137/1987–88 अ0मा0 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 23–7–1992 से अपील अस्वीकार की गई । आवेदक द्वारा पुनः द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल के समक्ष प्रस्तुत की गई, किन्तु न्यायालय अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा है एवं दिनांक 24–11–1995 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किया है ।

न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–95 के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश बोलता हुआ नहीं है तथा आलोच्य आदेश तर्कों एवं आधारों से पुष्ट नहीं है। क्योंकि न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं आदेश पर मात्र सील लगाना पर्याप्त नहीं है । मूल विचारण न्यायालय ने प्रार्थी रामकिशुन एवं प्रत्यर्थी क्र0 5 रामप्रताप को सूचना दिये बिना और उद्घोषणा कार्यवाही सम्पन्न किए बिना जो आदेश दिनांक 18–01–85 को दिया वह उक्त प्रार्थी रामकिशुन एवं प्रत्यर्थी रामप्रताप के मुकाबले में शून्य एवं अकृत है । अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–01–85 में उद्घोषणा जारी हुई है यह निष्कर्ष साक्ष्य, तर्क एवं आधारों से पुष्ट नहीं किया है । आलोच्य निर्णय एवं आदेश के पैरा 3 में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202–ए/91/इ0दी0 में प्रार्थी रामकिशुन एवं रामप्रताप पक्षकार थे ऐसा निष्कर्ष आलोच्य आदेश में नहीं है । रामकिशुन एवं रामप्रताप उस प्रकरण में पक्षकार ही नहीं थे जो उसमें प्रदान की गई डिक्री एवं निर्णय उनके मुकाबले में शून्य एवं अकृत होकर उन्हें रामकिशुन एवं रामप्रताप के विरूद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । संदर्भित एवं कथित विक्रय–विलेख सम्बन्धी कोई विचार परिशीलन, एवं निष्कर्ष एवं उनके कारण एवं आधार आलोच्य आदेश एवं निर्णय में नहीं है । आलोच्य आदेश एवं निर्णय निराधार है और उसमें विचार एवं विवेक शून्यता है । प्रार्थी रामकिशुन एवं प्रत्यर्थी रामप्रताप के कैस पर विवेक्तः विचार ही नहीं किया गया है । प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 4 के कैस की पुष्टी के आधार एवं कारण आलोच्य निर्णय एवं आदेश विवेक्तः नहीं है। आलोच्य निर्णय एवं आदेश कानूनन आदेश नहीं है । आलोच्य निर्णय एवं आदेश में केवल मात्र निष्कर्ष एवं परिणामों का उल्लेख है । जिन कारणों एवं आधारों पर निष्कर्षों और परिणामों की उपलब्धियां अधीनस्थ न्यायालय ने उनका कोई उल्लेख, विचार, विनमय, परिशीलन आलोच्य आदेश एवं निर्णय में नहीं है । जब प्रार्थी रामकिशुन एवं प्रत्यर्थी रामप्रताप को सूचना दिये बिना और कथित उद्घोषणा की सूचना हुए बिना एवं तत्सविषयक साक्ष्य के आधार के बिना जो निर्णय एवं आदेश प्रदान किये गये है वे सब शून्य है । अन्य कारण एवं आधारों सहित उक्त कारणों एवं आधारों पर आलोच्य आदेश एवं निर्णय वैध एवं औचित्यपूर्ण नहीं होकर अवैध, अनौचित्य है एवं अनियमितितापूर्ण कार्यवाहियों पर आधारित होकर निरस्तनीय है और अन्यथा भी प्रकरण विधिवत्

पुनः निर्णयार्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने भेजा जाना न्यायोचित है । प्रार्थी का एवं प्रत्यर्थी रामप्रताप का नामान्तरण किया जाना न्यायोचित है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाकर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । प्रकरण में रामप्रताप द्वारा दत्तक पुत्र होने के आधार पर अपना हक मॉगा गया । लेकिन रामनारायण ने भूमि विक्रय रामप्रसाद को अपने हिस्से की कर दी । इस पर कोई संशय नहीं है । यदि यह संव्यवहार छल–कपट से हुआ, संबंधी आपत्ति थी तो व्यवहार न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्त कराना था । पिता (दत्तक पुत्र के) द्वारा भूमि अपने जीवनकाल में बेचने का पूर्ण अधिकार था तथा उनके जीवनकाल में दत्तक पुत्र को कोई स्वत्व अर्जित नहीं होते हैं । विक्रय पत्र के आधार पर हुये नामान्तरण दिनांक 18–1–1985 को अपील/निगरानी में चुनौती नहीं दी गई अतः सह खातेदार रामकिशुन अब अन्य प्रकरण में उक्त आदेश को चुनौती नहीं दे सकते । निगरानीकर्ता यह भी बताने में असफल रहे हैं कि उनके हित कैसे विपरीत रूप से प्रभावित हुये हैं जबकि उनके हिस्से का विक्रय/ नामान्तरण इन प्रकरणों में विवाद का मुददा ही नहीं है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें परिवर्तन के पर्याप्त आधार नहीं है ।

6– उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर